2005:CGHC:3293

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खण्डन्याय पीठ)

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री ए.के. पटनायक,एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.आर.देशमुख

रिट याचिका क्रमांक 4118/2004

नमी सिंह ठाकुर

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से: श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण/छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से: श्री संजय एस. अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(पारित करने का दिनाँक 22 सितंबर, 2005)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश मुख्य न्यायाधिपति ए.के.पटनायक द्वारा पारित–

याचिकाकर्ता एक दृष्टिहीन व्यक्ति है और उसने वर्ष 1993 में दृष्टिहीन विद्यालय, बिलासपुर से 5 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। चूँकि बिलासपुर में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए 5 वीं कक्षा से आगे की शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वह जबलपुर चला गया और वर्ष 1996 में जबलपुर में ही दसवीं कक्षा तक अपनी विद्यालयीन शिक्षा पूर्ण की। तत्पश्चात, उसने वर्ष 2000 में जबलपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूर्ण की। वह वर्तमान में जबलपुर (मध्य प्रदेश) में एम.ए. का अध्ययन कर रहा है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति के रूप में अपनी पढ़ाई जारी रखने में इन सभी कठिनाइयों का सामना करने के उपरांत, उसने छत्तीसगढ़ राज्य के दृष्टिहीन, मूक और बधिर व्यक्तियों की ओर से एक जनहित याचिका के रूप में यह रिट याचिका प्रस्तुत की है और रिट याचिका में व्यक्त किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दृष्टिहीनों सहित निःशक्तजनों के लिए कक्षा छठवीं से कक्षा बारहवीं तक कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है। उन्होंने रिट याचिका में यह भी व्यक्त किया है कि किसी भी विद्यालय में बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है और यहाँ तक कि पुस्तकालय, ब्रेल पुस्तकें, संगीत प्रणाली आदि की सुविधाएँ भी

विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने तदनुसार प्रार्थना की है कि राज्य शासन को ये समस्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएँ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है और इसमें कथन किया गया है कि सचिव, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ ने दृष्टिहीन, मूक–बधिर विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में, अधीक्षक, शासकीय दृष्टिहीन एवं मूक–बधिर विद्यालय, रायपुर/बिलासपुर ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त करने हेतु कदम उठाए हैं और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टिहीन एवं मूक–बधिर विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक मान्यता पूर्व ही प्रदान की जा चुकी है, परंतु रायपुर स्थित शासकीय दृष्टिहीन एवं मूक–बधिर विद्यालय को अभी तक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ से मान्यता नहीं मिली है। उक्त जवाब में यह भी कथन किया गया है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, शाखा रायपुर ने दृष्टिहीन छात्राओं को छात्रावास सुविधा के साथ–साथ शैक्षणिक सुविधाएं भी प्रदान की हैं।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती हमीदा सिद्दीकी का तर्क है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक प्रदत्त सुविधाएँ दृष्टिहीन एवं मूक–बधिर व्यक्तियों के लिए पूर्णतया अपर्याप्त हैं। उनका तर्क है कि बालिकाओं के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रावास, पुस्तकालय, पुस्तकें, संगीत प्रणाली आदि नहीं हैं। उनका यह भी तर्क कि उक्त विद्यालयों में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए यह दर्शाया कि शासन निःशक्त व्यक्तियों जिनमें दृष्टिहीन एवं मूक–बधिर व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए ये समस्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4). दूसरी ओर,उत्तरवादीगण/ छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय एस. अग्रवाल ने उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलंब लेते हुए तर्क किया कि चूँकि रिट याचिका में मुख्य अनुतोष दृष्टिहीन एवं मूक–बधिर व्यक्तियों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए थी, शासन द्वारा स्वयं प्रदान की गई है, अतः इस प्रकरण में कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धाराएँ 26, 27, 28, 29, 30 व 31 (एतस्मिन पश्चात जिसे अधिनियम,1995 कहा जाएगा) निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा के संबंध में विस्तृत प्रावधान करती हैं एवं उक्त धाराएँ नीचे उद्धृत हैं:

26. समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि की व्यवस्था का किया जाना– समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी–

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशक्त बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सकेः

(ख) निःशक्त विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेंगे;

(ग) उनके लिए , जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, सरकारी और प्रायवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहे निःशक्त बालकों की ऐसे विद्यालयों तक पहुंच हो ;

(घ) निःशक्त बालकों के लिए विशेष विद्यालयों को व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास करेंगे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा आदि के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों का बनाया जाना– समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना सरकारों और स्थानीय द्वारा निम्नलिखित के लिये स्कीमें बनाएंगे, अर्थात :–

(क) ऐसे निःशक्त बालकों की बाबत, जिन्होंने पाँचवी कक्षा आदि के लिये स्कीमों तक शिक्षा पूरी कर ली है, किन्तु पूर्णकालीक आधार पर अपना अध्ययन चालू नहीं रख सके है, अंशकालीन कक्षाओं का संचालन करना ;

(ख) सोलह वर्ष और उस से ऊपर की आयु समूह के बालकों के लिये क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था के लिये विशेष अंशकालीन कक्षाओं का संचालन करना ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग करके उन्हें समुचित अभिविन्यास शिक्षा देने के पश्चात् अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना ;

(घ) खुले विद्यालयों या खुले विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना;

(ड़) अन्योन्य क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार साधनों के माध्यम से कक्षा और परिचर्चाओ का संचालन करना;

(च) प्रत्येक निःशक्त बालक के लिये उसकी शिक्षा के लिये आवश्यक विशेष पुस्तकों और उपस्करों की निःशुल्क व्यवस्था करना ।

28. नई सहायक युक्तियों, शिक्षण सहायक यंत्रों आदि की डिजाइन और उसका विकास करने के लिए अनुसंधान – समुचित सरकारें, ऐसी नई सहायक युक्तियों, शिक्षा

सहाय यंत्रों और विशेष शिक्षण सामग्री या ऐसी अन्य वस्तुओं जो किसी निःशक्त बालक को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिये आवश्यक हो, डिजाईन और उनका विकास करने के लिये अनुसंधान करेंगी या सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान कराएँगी ।

29. समुचित सरकारों द्वारा निःशक्त बालकों के विद्यालयों के लिये प्रशिक्षण. जनशक्ति विकसित करने के प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापित किया जाना– समुचित सरकारें पर्याप्त संख्या में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित करेंगी और निःशक्तता में विशेषज्ञता वाले शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करने के लिये, राष्ट्रीय संस्थानों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करेगी जिससे कि निःशक्त बालकों के विशेष विद्यालयों और एकीकृत विद्यालयों के लिये अपेक्षित प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सकें।

30. समुचित सरकारों द्वारा परिवहन सुविधाओं पुस्तकों के प्रदाय आदि के लिए व्यापक शिक्षा स्कीम का तैयार किया जाना– पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेबिना समुचित सरकारें, अधिसूचना द्वारा, एक व्यापक शिक्षा स्कीम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा, अर्थात–

(क) निःशक्त बालकों के लिए परिवहन सुविधाएँ या उनके माता पिता या अभिभावकों को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन, जिससे कि उनके निःशक्त बालक विद्यालयों में जा सकें ;

(ख) व्यावसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों महाविद्यालयों या अन्य संस्थानों से वास्तु विद्या–संबंधी बाधाओं को हटाना ;

(ग) विद्यालय जाने वाले निःशक्त बालकों के लिये पुस्तकों, वर्दियों और अन्य सामग्री का प्रदाय करना ;

(घ) निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना ;

(ड़) निःशक्त बालकों के पुनर्वास की बाबत उनके माता–पिता की शिकायतों को दूर करने के लिये समुचित मंच स्थापित करना ;

(च) दृष्टिहीन विद्यार्थियों और कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों की फायदे के लिये पूर्णतया गणित संबंधी प्रश्नों को हटाने के लिये परीक्षा पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन करना ;

(छ)निःशक्त बालकों के फायदे के लिये पाठ्यक्रम की पुनःसंरचना करना ;

(ज) श्रवण शक्ति के हास वाले विद्यार्थियों को फायदे के लिये उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक भाषा को लेने हेतु उन्हें सुगम बनाने के लिये पाठयक्रम की पुनः सरंचना करना।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. दृष्टि से विकलांग विद्यार्थियों के लिए लेखकों की व्यवस्था का किया जाना– सभी शिक्षा संस्थाएं, नेत्रहीन विद्यार्थियों या कमदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिये लेखकों की व्यवस्था करेगी या करवाएंगी ।

(6) अधिनियम, 1995 की धारा 26 को पठन से ज्ञात होता है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशक्त बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सकेः धारा 26 यह प्रावधान करता है कि उनके लिए , जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, सरकारी और प्रायवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहे निःशक्त बालकों की ऐसे विद्यालयों तक पहुंच हो ; धारा यह प्रावधान भी करता है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्त बालकों के लिए विशेष विद्यालयों को व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास करेंगे । अधिनियम, 1995 की धारा 27 समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी पर दायित्व डालता है कि अधिसूचना सरकारों और स्थानीय द्वारा स्कीमें बनाएंगे, अर्थात प्रत्येक निःशक्त बालक के लिये उसकी शिक्षा के लिये आवश्यक विशेष पुस्तकों और उपस्करों की निःशुल्क व्यवस्था कराएगें धारा 28 यह प्रावधान करता है कि समुचित सरकारें, ऐसी नई सहायक युक्तियों, शिक्षा सहाय यंत्रों और विशेष शिक्षण सामग्री या ऐसी अन्य वस्तुओं जो किसी निःशक्त बालक को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिये आवश्यक हो, डिजाईन और उनका विकास करने के लिये अनुसंधान करेंगी या सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान कराएँगी। अधिनियम, 1995 की धारा 30 समुचित सरकारों पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि वह एक व्यापक शिक्षा स्कीम तैयार करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान है कि विद्यालय जाने वाले निःशक्त बालकों के लिये पुस्तकों, वर्दियों और अन्य सामग्री का प्रदाय किया जाएगा अधिनियम, 1995 की धारा 31 प्रावधान करता है कि सभी शिक्षा संस्थाएं, नेत्रहीन विद्यार्थियों या कमदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिये लेखकों की व्यवस्था करेगी या करवाएंगी ।

(7) उपरोक्त प्रावधान 1995 से विधि का भाग बन चुका हैं और फिर भी राज्य शासन ने अधिनियम, 1995 के उपरोक्त प्रावधानों के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु कदम नहीं उठाए हैं। अधिनियम, 1995 की धारा 26, 27, 28, 29, 30 और 31 के प्रावधानों की भाषा यह स्पष्ट करती है कि ये समुचित सरकारों और/या स्थानीय प्राधिकारियों पर अधिरोपित वैधानिक कर्तव्य हैं। यह विधि का स्थापित नियम है कि उच्च न्यायालय सदैव प्राधिकारियों को अपने वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए आदेश जारी कर सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8)तदनुसार, हम इस रिट याचिका का निपटान इस निर्देश सहित करते हैं कि राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगी कि आज से एक वर्ष के भीतर बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर के तीन दृष्टिहीन, मूक–बधिर शासकीय विद्यालय को 12 वीं कक्षा की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में उन्नत किया जाए और उन्हें ब्रेल लिपि पुस्तकें, संगीत प्रणालियां, सहायक यंत्र, शिक्षण सहायक सामग्री और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं, जो दृष्टिहीन, मूक–बधिर बालकों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। राज्य शासन एक व्यापक शिक्षा स्कीम भी तैयार करेगी जिसमें दृष्टिहीन, मूक–बधिर विद्यालय जाने वाले बालकों हेतु पुस्तकों,वर्दियों व अन्य सामग्री अधिनियम, 1995 के उपरोक्त प्रावधानों के तहत अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। राज्य शासन यह भी पता लगाएगी कि क्या मौजूदा तीन शासकीय विद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में दृष्टिहीन, मूक–बधिर बालकों की शिक्षा के लिए पर्याप्त हैं और यदि राज्य शासन को लगता है कि ये तीनों स्कूल अपर्याप्त हैं, तो वह अधिनियम, 1995 के अधीन अपने पूर्वोक्त दायित्व के अनुपालन में नए विद्यालय प्रारंभ करने हेतु कदम उठाएगी।

सही/– **मुख्य न्यायाधिपति**	**सही/–** **(दिलीप रावसाहेब देशमुख)** **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**